समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (व
फैक्स न0–0612–2218
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@ni

–: आदेश :–

07-09-2013

आवेदक **श्री अरूण कुमार,** पिता–श्री अखिलेश सिंह, सा0+पो0–सिकरिया, थान पालीगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन– पत्र शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–151/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–06.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कार से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–07.09.2013 निर्धारित की गई।

दिनांक–07.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषक हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–501/गो0, दिनांक–05.06.2012 द्वा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कं अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वा थानाध्यक्ष, पालीगंज के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति दिये जाने है अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, पालीगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक है आवेदक के दादा स्व0 जुगल सिंह सिंह के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–54/1951 पर धारि डी0बी0बी0एल0 गन सं0–7299/5404 .12 बोर को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित कर चाहते हैं। आवेदक के विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है। इनके आवास मध्य बिहार ग्रामीण बैंक होनें के कारण सुरक्षा की आवश्यकता है। तदोपरान्त आवेदक जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आले में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकि इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवे की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाध ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेग अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक सम और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के उ उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनु करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर वि समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उन द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्व अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बि पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों ए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेद श्री अरूण कुमार, पिता–श्री अखिलेश सिंह, सा0+पो0–सिकरिया, थाना–पालीगंज, जिला–पट के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी
पटना।